"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 अप्रैल 2006—चैत्र 29, शक 1928

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक/1592/डी-15/10/2005/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, ग्राम कुरूद, पटवारी हल्का नंबर-29, तहसील-कुरूद ,जिला-धमतरी स्थित खसरा नंबर-183/19 की 18.40 एकड़ भूमि का क्षेत्र जिसके उत्तर में ग्राम-चरमुड़िया सरहद, दक्षिण में कोटवारी सेवा भूमि, पूर्व में कृषकों की लगानी भूमि, पश्चिम में नवोदय विद्यालय की भूमि है, को कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के स्थान सहित, समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है.

Raipur, the 19th April 2006.

NOTIFICATION

No./1592/D-15/10/2005/14-3.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares the Khasara No. 183/19 an area of 18.40 acre land situated at Village-Kurud, P. C. No. 29 in Tehsil-Kurud, District-Dhamtari, bounded

by border of Village Charmuriya in north, Kotwari Sewa Bhumi in south, Lagani Land of Farmers in east, Land of Navodaya Vidyalaya in west, including any structure, enclosures open place or locality in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Kurud shall be sub market yard.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.